

प्रेषक

जिला वैदिक शिक्षा अधिकारी,
मथुरा ।

सेवा में

प्रबंधक,
निष्कलंक माता प्राश्मरी स्कूल
जात (मथुरा)

पत्रांक : मान्यता। स्थायी। प्रा०।

105-08 148-44

दिनांक

1/6/94

विषय :- प्राश्मरी स्तर (कक्षा १ से ५ तक) स्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

जिला मान्यता समिति के प्रस्ताव दिनांक २-४-९४ की संसूति के आधार पर प्राश्मरी स्तर कक्षा १ से ५ तक की स्थायी मान्यता इस प्रतिलिपि के साथ प्रदान की जाती है कि यदि विभागीय नियमों (शर्तों में कोई कमी पायी जाती है अथवा विभागीय नियमों शर्तों (निर्धारित पाठ्य क्रम और परीक्षा सहित) का पालन नहीं किया जाता है तो मान्यता स्वतः समाप्त सम्झी जायेगी । भविष्य में भी विभाग द्वारा निर्धारित नहीं शर्तों । परिवर्तनों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा ।

भवदीय

(प्रेम शंकर पाण्डे)

जिला वैदिक शिक्षा अधिकारी,
मथुरा ।

पृ० सं० मान्यता। स्थायी। प्रा०।

148-44 उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- उप विद्यालय निरीक्षक, मथुरा ।
- २- प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, ब्लाक- मथुरा ।
- ३- जिला समान कल्याण अधिकारी, मथुरा ।

(प्रेम शंकर पाण्डे)

जिला वैदिक शिक्षा अधिकारी,
मथुरा ।

PRINCIPAL
VISHKALANKA MATA SCHOOL
JAIT (MATHURA)

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

प्रमुख,

निष्कलंक माता स्कूल, जैत मथुरा।

पत्रांक: सी 080/मान्यता/ 5096-5748/96-97 दिनांक: 26/11/96
विषय:- आसकोय उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता के हार में।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 217/15-6-92-18-एस 78/89 दिनांक 11-5-92 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्ती कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे:-

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकोय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक,
आगरा मण्डल, आगरा।

तदिनांक

19/11/96

पृ० सं० सी 080/मान्यता/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अवर शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल।
- 4-लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल।
- 5-जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, आगरा मण्डल।
- 6-उप विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका, आगरा मण्डल।
- 7-कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।


PRINCIPAL
NISHKALANKA MATA SCHOOL
JAIT (MATHURA)

सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक,
आगरा मण्डल, आगरा।